हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215

No. Hi.Shi.Bo(31)HPSOS Admin/Creation of HPSOS Study center/23454-466 **Date:** 13-01-25

"Notification"

In exercise of the powers vested in him under section 19(3) of the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968, the Chairman, Himachal Pradesh Board of School Education has accorded permission to amend the **Notification No. क्रमांक हि०शि०बो० (31) राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/13528-13545 दिनांक:08-12-2023** as follow:

Clause	Existing Rule	Amended Rule
5.2	मान्यता हेतु मानक व मानदंड **(Norms & Criteria of Accrediation)**	
4	अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ऑन मैरिट के आधार पर निर्धारित दूरी में छूट प्रदान कर सकते हैं।	ड़िलिट
5	हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केन्द्र सृजन हेतु निजी शिक्षण संस्थान के लिए शुल्क राशि ₹ 30,000/- है, जोकि केवल दो वर्षों के लिए ही मान्य होगा। इसके पश्चात हर वर्ष निजी शिक्षण संस्थानों को राशि ₹ 5,000/- हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय अध्ययन केन्द्र नवीनीकरण शुल्क के रूप में बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।	1. निजी व सरकारी दोनों विद्यालयों को हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय अध्ययन केन्द्र सृजन हेतु निर्धारित **अध्ययन केन्द्र सृजन शुल्क** ₹ 36,000/- बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा जोकि केवल दो वर्षों के लिए ही मान्य होगा। इसके पश्चात् हर वर्ष केवल निजी विद्यालयों को निर्धारित **अध्ययन केन्द्र नवीनीकरण शुल्क** ₹ 6,000/- है भी बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। 2. ऐसे निजी व सरकारी विद्यालय जो पहले से ही हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के लिए कक्षा आठवीं/दसवीं तक अध्ययन केन्द्र सृजित हैं और जमा दो कक्षा में अपग्रेड करवाना चाहते हैं उन्हें प्रचलित **Upgradation cum HPSOS study centre creation fee** ₹ 36,000/- बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य होगी।
21.	a) हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र को बंद/स्थगित करने फलस्वरूप अध्ययन केन्द्र सृजन व नवीनीकरण शुल्क को वापिस नही किया जाएगा।	a) यथावत

	b) किसी अध्ययन केन्द्र के बंद/स्थगित होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को समस्त परीक्षार्थियों के सहायक दस्तावेज़ /Admission Withdrawal Register/परीक्षा शुल्क रिकार्ड/संचालित पी० सी० पी० कक्षाओं का रिकार्ड को बोर्ड़ कार्यालय में तुरंत ही जमा करवाना होगा। c) रिकार्ड को बोर्ड़ कार्यालय में जमा नहीं करवाने पर सम्बन्धित विद्यालय के संचालक/निदेशक/प्रधानाचार्य के विरूद्ध कानूनी कार्यवही की जाएगी।	b) किसी अध्ययन केन्द्र के बंद/स्थगित होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को समस्त परीक्षार्थियों के सहायक दस्तावेज़, Admission Withdrawal Register, परीक्षा शुल्क रिकार्ड और संचालित पी० सी० पी० कक्षाओं का रिकार्ड अपने विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा। c) रिकार्ड को अपने विद्यालय में सुरक्षित नहीं रखने पर सम्बन्धित विद्यालय के संचालक/निदेशक/प्रधानाचार्य के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
23.	a) हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र की मान्यता को रद्द करने से पूर्व सम्बन्धित अध्ययन को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाएगा। b) निर्धारित समय अवधि में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र की मान्यता को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।	a) यथावत b) यथावत c) अध्ययन केन्द्र के रद्द/निरस्त होने के फलस्वरूप सम्बन्धित विद्यालय को पुन: हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केन्द्र सृजन हेतु समस्त औपचारिकताएँ दोबारा करना अनिवार्य होगा जिसमे कि नया Form B और प्रचलित अध्ययन केन्द्र सृजन शुल्क ₹ 36,000/- बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215

		d) सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययन केन्द्र का सृजन बोर्ड कार्यालय के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने और समस्त औपचारिकताएँ पूरी करने फलस्वरूप ही किया जाएगा। e) अध्ययन केन्द्र सृजन उपरांत सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को पूर्व में आवंटित युजर कोड ही जारी किया जाएगा।
25.	.....	ऐसे निजी विद्यालय जो पहले से ही हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत कक्षा आठवीं/दसवीं तक अध्ययन केन्द्र सृजित हुए हैं वह जमा दो कक्षा के लिए अपने अध्ययन केन्द्र को अपग्रेड/करवा सकते हैं बशर्ते कि सम्बन्धित विद्यालय लगातर पिछले पांच वर्षों से जमा दो कक्षा के लिए हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय से मान्यता प्राप्त हो।

*** उपरोक्त शुल्क में बोर्ड कार्यालय द्वारा समय-2 पर संशोधन किया जा सकता है।**

Dr. (Major) Vishal Sharma, H.A.S.
Secretary

Endst. No. As above
Copy of above is forwarded to the following for information and necessary action:

1. The Secretary (Education) to the Govt. of the H.P Shimla-2.
2. The Director of Higher/Elementary Education, Shimla-1.
3. Sr./Jr. Scale Stenographer, Chairman/Secretary, HPBOSE Dharamshala.
4. All Deputy & Assistant Secretaries/Section Officers of HPBOSE Dharamshala.
5. Section Officer (General Branch), with the direction to place the matter before the forthcoming BOD meeting for ratification.

Dr. (Major) Vishal Sharma, H.A.S.
Secretary